भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2489

06 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: गाय आधारित प्राकृतिक खेती

2489. श्री दर्शन सिंह चौधरीः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गाय आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा श्री अन्न के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) प्राकृतिक खेती के माध्यम से किसानों द्वारा उत्पादित खाद्यान्नों को खरीदने की सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): भारत सरकार वर्ष 2019-2020 से परम्परागत कृषि विकास योजना को भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। यह स्कीम मुख्य रूप से सभी सिंथेटिक रासायनिक इनपुट के अनुप्रयोग पर बल देती है और बायोमास मल्चिंग, गाय के गोबर-मूत्र के संयोजन और अन्य पौधों पर आधारित उत्पाद पर प्रमुख बल देते हुए ऑन-फार्म बायोमास रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देती है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के तहत 500 हेक्टेयर के क्लस्टर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और तीन वर्ष के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200/- रुपये प्रदान किए जा रहे हैं, जिसमें किसानों को डीबीटी के माध्यम से 2000/- रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिए जा रहे हैं।

(ख): यह मंत्रालय मिलेट्स के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों (देश के जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख) में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम)-पोषक अनाज का कार्यान्वयन कर रहा है। एन.एफ.एस.एम-पोषक अनाज के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से किसानों को बेहतर पद्धतियों के पैकेज पर क्लस्टर प्रदर्शन, उच्च उपज देने वाली किस्मों (एच.वाई.वी)/संकर किस्मों के बीजों का उत्पादन और वितरण, उन्नत कृषि मशीनरी/संसाधन संरक्षण मशीनरी/उपकरण, कुशल जल अनुप्रयोग उपकरण, पौध संरक्षण उपाय, पोषक तत्व प्रबंधन, मृदा सुधारक, किसानों को फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण आदि जैसे कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यह मिशन विषय विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों की देखरेख में प्रौद्योगिकी बैक स्टॉपिंग और किसान को प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एस.एयू)/कृषि विज्ञान केंद्रों (के.वी.के) को भी सहायता प्रदान करता है।

(ग): प्राकृतिक खेती के माध्यम से किसानों द्वारा उत्पादित खाद्यान्न की खरीद के लिए भारत सरकार के पास कोई स्कीम नहीं है। खाद्यान्नों की खरीद की सरकारी नीति का व्यापक उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी) सुनिश्चित करना और कमजोर वर्गों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इस नीति के तहत, खरीद केंद्रों पर भारत सरकार के विनिर्देशों के अनुरूप किसानों द्वारा प्रस्तुत किए गए स्टॉक को सरकारी एजेंसियों द्वारा एम.एस.पी पर खरीदा जाता है। तथापि, किसानों को खुले बाजार में एम.एस.पी से बेहतर कीमत मिलती है, तो वे अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई) और संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से प्रत्येक वर्ष खरीफ और रबी फसल के लिए राज्य खाद्य सचिवों की बैठक के दौरान किसानों से खाद्यान्न (गेहूं/धान/मोटे अनाज) खरीदने के लिए खरीद योजना तैयार करती है। भारत सरकार द्वारा खरीद कार्यों की नियमित समीक्षा की जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनाज की खरीद में एफ.सी.आई की दक्षता का मूल्यांकन और अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई,यदि आवश्यक हो, शामिल है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी किए गए मोटे अनाज की खरीद, आवंटन,वितरण और निपटान के लिए दिनांक- 07.12.2021/28.03.2022/09.08.2023 के दिशा-निर्देश के अनुसार, राज्यों को एफ.सी.आई के परामर्श से भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के अध्यधीन केंद्रीय पूल के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी) पर किसानों से ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ और रागी तथा छह माइनर मिलेट्स खरीदने की अनुमति है। समग्र मात्रा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में टी.पी.डी.एस (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली)/ओ.डब्ल्यू.एस (अन्य कल्याणकारी योजनाओं) के तहत वितरित की जाएगी।

मोटे अनाज/मिलेट्स की खरीद और खपत बढ़ाने के लिए, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राज्य एजेंसियों/एफ.सी.आई द्वारा खरीदे गए मोटे अनाज के आवंटन, वितरण और निपटान के दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है और वितरण अवधि को 3 महीने से बढ़ाकर 6-10 महीने कर दिया है। एफ.सी.आई के माध्यम से अधिशेष मिलेट्स के अंतर-राज्यीय परिवहन का प्रावधान भी शामिल किया गया है। मोटे अनाज/ मिलेट्स की खरीद के क्षेत्र को अधिक व्यापक बनाने के लिए, रागी के एम.एस.पी के आधार पर लागत पर 3 वर्ष (वर्ष 2023 से) के लिए निम्नलिखित माइनर/स्यूडोमिलेट्स की खरीद की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है:

- माइनर मिलेट्स - फॉक्सटेल मिलेट्स (कंगनी/काकुन), प्रोसो मिलेट्स (चीना), कोदो मिलेट्स (कोदो), लिटिल मिलेट्स (कुटकी)
- स्यूडो मिलेट्स - बकव्हीट मिलेट्स (कुट्टू) और अमेरंथस (चौलाई)।

*****